सीएसआईआर - केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान,
पिलानी (राज.) -333031

सं. 6-24(1)/2022-MSEH

दिनांक: 12/10/2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- बाह्य रोगी विभाग (OPD) में सीजीएचएस दरों तथा अन्तः रोगी विभाग (IPD) में सीजीएचएस दरों पर कैशलैस चिकित्सा सुविधा हेतु महादेव सिंघी नेत्र चिकित्सालय, पिलानी से अनुबंध के संबंध में।

सभी संबंधितों की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि संस्थान में सेवारत कार्मिकों एवं पेंशनरों तथा उनके आश्रितों के उपचार हेतु बाह्य रोगी विभाग (OPD) में सीजीएचएस दरों तथा अन्तः रोगी विभाग (IPD) में सीजीएचएस दरों पर कैशलैस चिकित्सा सुविधा हेतु महादेव सिंघी नेत्र चिकित्सालय, पिलानी से दिनांक 19/09/2022 को अनुबंध किया गया है जो कि दिनांक 18/09/2025 तक प्रभावी रहेगा।

संस्थान में कार्यरत कार्मिक बाह्य रोगी विभाग (OPD) हेतु सीरी डिस्पेंसरी के आवासीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया रेफरल पर्चा व अपना पहचान–पत्र दिखा कर सीजीएचएस सुविधा/दरों का लाभ ले सकेंगे। अन्तः रोगी विभाग (IPD) के मामले में (आपातकालीन स्थिति को छोडकर) कैशलैस चिकित्सा सुविधा हेतु प्रत्येक सहकर्मी व पेंशनर संबंधित रोगी हेतु सीरी डिस्पेंसरी के आवासीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया रेफरल पर्चा व संस्थान द्वारा महादेव सिंघी नेत्र चिकित्सालय, पिलानी को संबोधित अनुमति पत्र द्वारा अस्पताल से इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। अस्पताल प्रत्येक रोगी (सहकर्मी व पेंशनर तथा उनके आश्रित) के बिल/प्रतिपूरक दावें संस्थान में सीधे प्रस्तुत करेगा। चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे में गैर-स्वीकार्य मदों (यथा पानी की बोतल, हैंड रब, फेस मास्क, प्रसाधन सामग्री इत्यादि) का व्यय संबंधित लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा। लाभार्थी द्वारा गैर-स्वीकार्य मदों की राशि संस्थान में जमा करवाने के बाद अस्पताल के बिलों/प्रतिपूरक दावों का भुगतान संस्थान द्वारा अस्पताल को किया जाएगा।

श्री जय शंकर शरण, प्रशासन नियंत्रक (coa@ceeri.res.in; Mobile No. 9123190501, Tel. No. 01596-252300) तथा उनकी अनुपस्थिति में श्री महेन्द्र सिंह, प्रशासनिक अधिकारी (adminofficer@ceeri.res.in; Mobile No. 9413284273, Tel. No. 01596-252399) समन्वयक (Co-ordinator) के रूप में कार्य करेंगे।

(महेन्द्र सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. महादेव सिंघी नेत्र चिकित्सालय, पिलानी
2. निदेशक के निजी सचिव
3. प्रशासन नियंत्रक / प्रशासनिक अधिकारी
4. वित्त एवं लेखा नियंत्रक / वित्त एवं लेखा अधिकारी
5. आवासीय चिकित्सा अधिकारी
6. सूचना पट्ट
7. प्रभारी, एनएमसी – संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।